न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 100/2024 (उदयपुर डिक्की)

मगनसिंह पिता सवसिंह उर्फ शिवसिंह जी राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हरिसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोवर्धनसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मनोहरसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती जेत बाई पत्नी नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. माधुसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. मानसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

6/1. राजूसिंह पिता मानसिंह जी राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. श्रीमती नाथी कुंवर पुत्री मानसिंह राजपूत पत्नी देवीसिंह सोलंकी, निवासी दोब, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्की उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा
दिनांक 25.08.2024 प्र.सं. 35/2017

———/———

उपस्थित :– 1– श्री सुरेशचन्द्र द्विवेदी/सुरेन्द्र चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अशोक शाहू/श्रीराम शाकद्वीपी अभिभाषक रे.सं.1 से 6
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 7

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 05–11–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा में स्थिति कुल आराजियात 27 रकबा 11.1400 हैक्टर में से आराजी नंबर 406 रकबा पर वादी का कब्जा अपने पिता के समय से चला आ रहा है, जिसकी घोषणा कराने का वादी अधिकारी है। अतः वादी को आराजी नंबर 406 का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा बताया कि आराजी नंबर 406 प्रतिवादीगण के खातेदारी की होकर काबिज चले आ रहे हैं। वादी धनबल एवं बाहुबल के आधार पर उक्त आराजी हड़पना चाहता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 3 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 25–08–2024 को वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–09–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नंबर 406 पर अपीलान्ट/वादी का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, जो खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से स्पष्ट है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विश्वास नहीं कर अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोन्डेन्टगण के खातेदारी की होकर उनका कब्जा चला आ रहा है, अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी में विवादित आराजी नंबर 406 रकबा 0.1512 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा गिरदावरियों अनुसार काश्त भी रेस्पोन्डेन्टगण की दर्ज है। अपीलान्ट/वादी विवादित आराजी पर अपना पुराना कब्जा बताते हुए पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहता है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए कब्जे के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादी/अपीलान्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 25–08–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

मगनसिंह पिता सवसिंह उर्फ शिवसिंह राजपूत, निवासी खाम्बिया, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर	बनाम	**हरिसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत, निवासी खाम्बिया, तह, गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**100 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**25**.....माह.....**08**.....**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**.....माह.....**11**.....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**सुरेशचन्द्र द्विवेदी/सुरेन्द्र चौबीसा**..मिनजानिब अपीलान्ट व..**अशोक शाहू/श्रीराम शाकद्वीपी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 25–08–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**11**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested